



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30198 वर्ष 2026

पवन उर्फ मोगली

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : ब्रिज लाल शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बृज लाल शुक्ल तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 193 सन् 2026, धारा 103(1), 61(2) एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना इकोटेक-III, जनपद गौतम बुद्ध नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, किंतु विवेचना के दौरान सूचनादाता ने अपने बयान में उसका नाम प्रकट किया और यह तथ्य दर्शाता है कि आवेदक निर्दोष है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिलक्षित होता है कि धारा 61(2) बी.एन.एस. की सहायता से षड्यंत्र रचने के आरोप में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है, किंतु अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध षड्यंत्र का कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त अभय उर्फ अभी को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उसके जमानत आदेश को पेपर बुक के पृष्ठ 76 पर संलग्न किया गया है तथा आवेदक का मामला उसके समान है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 21.5.2026 से जेल में है, अर्थात् पिछले तीन माह से अधिक समय से निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।
9. यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, किंतु इसके बावजूद जब विवेचनाधिकारी द्वारा सूचनादाता का बयान दर्ज किया गया, तब उसने आवेदक तथा सह-अभियुक्त अभय उर्फ अभी सहित अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकट किए।
10. आगे यह भी परिलक्षित होता है कि धारा 61(2) बी.एन.एस. की सहायता से षड्यंत्र रचने के आरोप में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है, किंतु प्रथम दृष्टया भी अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध षड्यंत्र का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
11. आगे, सह-अभियुक्त अभय उर्फ अभी को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 21.5.2026 से जेल में है, अर्थात् पिछले तीन माह से अधिक समय से निरुद्ध है।

13. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक-पवन उर्फ मोगली को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

31 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.के.एम.

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।